

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर।  
उपस्थिति-रूपाली सक्सेना (उच्चतर न्यायिक सेवा)  
(J.O. No.-UP1524)

CNR No.UPJP010003452003



Presented on : 30-10-2003  
Registered on : 23-12-2019  
Decided on : 11-03-2026  
Duration : 22 years, 04 months, 09 days

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-667 ए/2003

पंजीयन संख्या-667/2003

राज्य बनाम अजय सिंह उर्फ गुड्डू

मु०अ०सं०-198/2001

धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज  
विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986  
थाना-नेवढ़िया, जिला जौनपुर।

दिनांक-11.03.2026

1. पत्रावली वर्ष 2003 से लम्बित है। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त गुड्डू उर्फ अजय सिंह उपस्थित नहीं है। राज्य की तरफ से विद्वान विषेश लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) उपस्थित है।
2. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन, जमानती वारण्ट, गैर जमानती वारण्ट, अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 दं०प्र०सं०), अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 83 दं०प्र०सं०) आदि प्रपत्रों की आदेशिकाएं निर्गत की गयी, जिन पर सक्षम प्राधिकारियों के प्रमाण पत्र संलग्न होकर आख्याएं प्राप्त हुई।
3. पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित थाने की आख्या व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्रामवासियों से यह जानकारी प्राप्त हुआ कि अभियुक्त गुड्डू उर्फ अजय सिंह पुत्र स्व० बजरंग बहादुर, रामनगर भड़सरा के निवासी थे, परन्तु लगभग 10 वर्षों से घर से बाहर हैं, जिनका कोई पता नहीं है। घर व जमीन बँचकर चला गया है, जिसका कोई अता-पता नहीं बता पा रहे हैं। वार्ड नं०-8 के सभासद की तहरीर भी संलग्न की गयी है, जिसके अनुसार भी उक्त अभियुक्त का विगत कई वर्षों से निवास नहीं हो रहा है। कई लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि गुड्डू उर्फ अजय सिंह पिछले कई वर्षों से भड़सरा ग्राम में नहीं दिखायी दिया।  
न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को अभियुक्त गुड्डू उर्फ अजय सिंह की उपस्थिति हेतु एक पत्र मय आदेशिकाएं प्रेषित किया गया, जिस पर भी इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि एन०बी०डब्लू० गुड्डू उर्फ अजय सिंह का तामीला अमल में लाया गया तथा वारण्टी के घर जाने पर उसका घर खण्डहरनुमा है, कोई नहीं रहता है। आस-पास के लोग बता रहे हैं कि कई वर्ष से ये लोग यहां नहीं रह रहे हैं तथा यह भी बताया जा रहा है कि कोलकत्ता में कहीं रहते हैं, लेकिन पता नहीं मालूम है। कभी घर नहीं आते हैं। मोबाइल नम्बर की भी जानकारी नहीं हो सकी, काफी तलाश किया गया, परन्तु दस्तयाब नहीं हुआ।
4. अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि विशेष सत्र परीक्षण उपरोक्त में अभियुक्त अभियुक्त अजय सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र बजरंग बहादुर सिंह, निवासी भड़सरा, थाना जफराबाद, जौनपुर काफी दिनों से फरार चल रहा है। अभियुक्त की गैर हाजिरी के कारण ही मूल पत्रावली 667/03 स्टेट बनाम धीरेन्द्र से पृथक कर दी गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एन०बी०डब्लू०, धारा-82 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही जारी किया गया था, परन्तु उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सभासद की तहरीर में कहा गया है कि अभियुक्त 15 वर्षों से गांव में नहीं रहता है। अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसका कुछ पता नहीं है। पत्रावली प्राचीन है। पत्रावली के गवाह भी नहीं मिल रहे हैं। 667/03 स्टेट बनाम धीरेन्द्र में गवाही चल रही है, उनके गवाहों को शामिल करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध विधिक

कार्यवाही आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्टेट बनाम धीरेन्द्र के बयान को शामिल करने की अनुमति प्रदान करते हुए विधिक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

5. अभियोजन द्वारा का० मुन्नू (पैरोकार) को साक्षी संख्या-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, साक्षी ने सशपथ बयान किया कि-विशेष सत्र परीक्षण संख्या-667 ए/2003 से सम्बन्धित समस्त साक्षियों के बाबत काफी तलाश किया गया, किन्तु प्रकरण काफी प्राचीन होने के कारण सम्बन्धित साक्षियों का पता नहीं चल पा रहा है। प्रकरण में अभियुक्त फरार हो चुका है। अभियुक्त का पता नहीं चल पा रहा है। भविष्य में अभियुक्त के मिलने पर साक्षियों को तलाश कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एन०बी०डब्लू०, धारा 82 दं०प्र०सं० उसके पश्चात धारा 83 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी की जा चुकी है, जिसके तामीला के पश्चात भी अभियुक्त का पता नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार हो चुका है। न्यायालय के पूर्व आदेश से साक्षियों के विरुद्ध भी आदेशिकाएं प्राप्त हैं। प्रकरण के काफी पुराने होने के कारण साक्षी का पता नहीं चल पा रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार साक्षियों को वरीयता से तलाश कर प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। भविष्य में यदि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो मामले के साक्षीगण को यथा संभव साक्ष्य हेतु न्यायालय में परीक्षित कराये जाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गुड्ड उर्फ अज सिंह के विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 में प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 30.10.2003 को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया। दिनांक 19.10.2004 से अभियुक्त लगातार अनुपस्थित रहा। तत्कालीन विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त की हाजिरी हेतु आदेशिकाएं जारी की गयीं। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन, जमानती वारण्ट, गैर जमानती वारण्ट, जमानतदारों को नोटिस, धारा 82 व 83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयीं, किन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना से आख्या प्राप्त हुयी कि अभियुक्त कई वर्षों से लापता व फरार है। पत्रावली अति प्राचीन है। अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण उसके सम्बन्ध में धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य 11.03.2026 की तिथि नियत की गयी, किन्तु अभियोजन द्वारा कोई भी साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया। आज दिनांक 26.02.2026 को साक्षी का० मुन्नू थाना नेवदिया का बयान अंकित कराया गया। साथ ही अभियोजन द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया। साक्षीगण को कई आदेशिकाएं पूर्व में जारी की गयीं, लेकिन साक्षीगण के सम्बन्ध में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पायी है, इसलिए सम्बन्धित थाने के पैरोकार को बतौर साक्षी परीक्षित कराया जा रहा है। भविष्य में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर शेष साक्ष्य कारायी जाएगी।

8. अतः उपरोक्त कृत कार्यवाहियों की विवरण की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि प्रकरण लगभग 22 वर्ष पुराना है और पत्रावली अपार डीजे से सम्बन्धित प्राचीनतम पत्रावली है। अभियुक्त पत्रावली में दिये गये पते पर निवास नहीं कर रहा है, न ही उसके गिरफ्तार होने की सम्भावना है। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही संचालित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

#### आदेश

अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त अजय सिंह उर्फ गुड्ड पुत्र बजरंग बहादुर सिंह, निवासी भड़सरा, थाना जफराबाद, जौनपुर के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही संचालित की जाती है। जब कभी निकट भविष्य में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है या गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिनुसार विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अभियुक्त के पते से स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट बनाकर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर व थानाध्यक्ष मड़ियाहूँ, जौनपुर को आदेश की प्रति साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अगले 50 वर्ष तक पत्रावली विनिष्ट न किये जाने का पृष्ठांकन किया जाए।

(रूपाली सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/  
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,  
जौनपुर।

जे०ओ० कोड-यू०पी० 1524